देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८६/२

9 772395 711007

Impact Factor
3.478

ISSN : 2395-7115

साहित्य, समाज और किन्नर
(विशेषांक)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY REFEREED RESEARCH JOURNAL

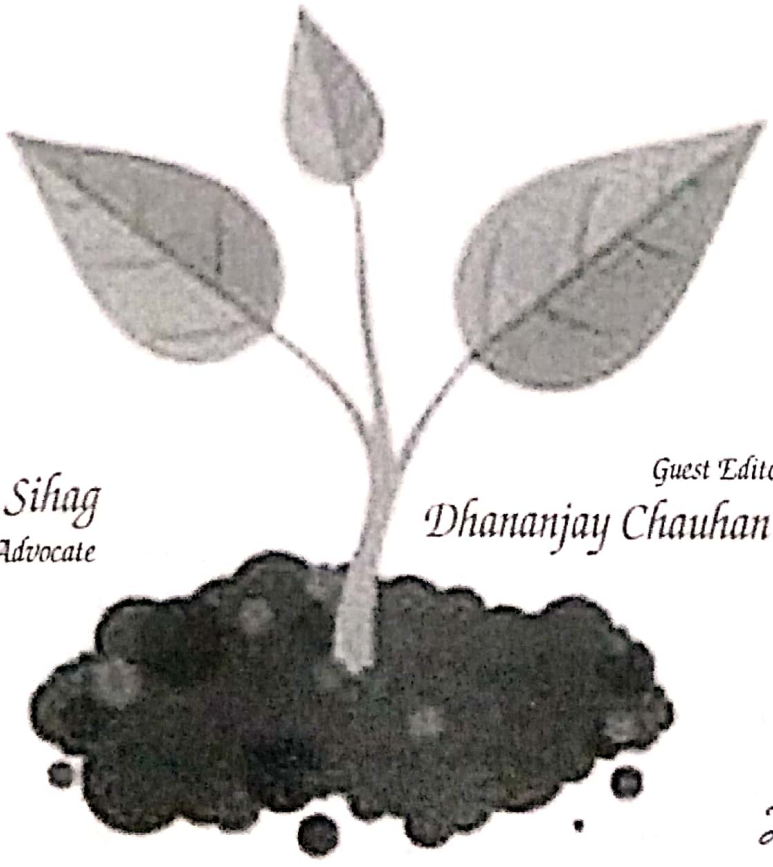

Editor
Dr. Naresh Sihag
Advocate

Guest Editor
Dhananjay Chauhan Mangalmukhi

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

Scanned by CamScanner

34.	किन्नरों की पहचान	दीपशिखा	119–120
35.	किन्नरों के लिए सरकारी योजनाएं	डॉ० विजय लक्ष्मी	121–122
36.	किन्नरों के रीति–रिवाज	डॉ. हितेष कल्याणी	123–124
37.	किन्नर और उनकी संस्कृति	डॉ विनीता लाल, दीपशिखा	125–127
38.	भारत में मुस्लिम शासन व राजनीति में किन्नरों का अस्तित्व एवं योगदान	दीपा शिवनानी	128–130
39.	अपनों की पहचान	माई मनीषा महंत	131–133
40.	हिन्दी सिनेमा के झरोखे से किन्नर समाज	डॉ उर्मिला पोरवाल	134–137
41.	अस्तित्व के लिए जूझता किन्नर समाज	डॉ0 नीलम	138–140
42.	'किन्नर' लोक–साहित्य : एक सर्वेक्षण	गणेशताराचंद खैरे	141–142
43.	किन्नर : कल और आज	डॉ0 किरण शर्मा	143–146
44.	भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में किन्नर	डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह	147–149
45.	एक समलैंगिक व्यक्ति की व्यथा : 'अलीगढ़' फिल्म के विशेष सन्दर्भ में	सलीजा ए.पी.	150–152
46.	किन्नर : कल और आज	डॉ0 नलिनी सिंह	153–154
47.	अस्तित्व के लिए जुझता किन्नर समाज	श्रीमती रूपा	155–159
48.	किन्नरों की समाज में स्थिति : एक आपबीती घटना	डॉ. सरोज सिंह	160–161
49.	किन्नर – एक शारीरिक अभिव्यक्ति	बीना खत्री	162–163
50.	अस्तित्व के लिए जूझता किन्नर समाज	डॉ. सविता मिश्र	164–165
51.	किन्नर समुदाय पर संवाद	वैशाली	166–167
52.	किन्नर : उद्‌भव, अतीत एवं वर्तमान	डॉ. भामा अग्रवाल	168–171
53.	'किन्नर कथा' उपन्यास में चित्रित किन्नर जीवन	सानिया गुप्ता	172–174
54.	किन्नरों की पीड़ा का कोलाज : निर्मला भुराड़िया का 'गुलाम मंडी' (किन्नर विमर्श के विशेष सन्दर्भ में)	डा॰ किरण ग्रोवर	175–180
55.	किन्नरों की दशा के सुधार में समाज व सरकार की भूमिका	पवन भारती	181–188
56.	'मैं पायल' में यौन–शोषण की शिकार बनी नारी	डॉ. काकानि श्रीकृश्ण	189–191
57.	कैबनेट ने किन्नरों को अधिकार संपन्न बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी	समुद्रानील	192–193
58.	किन्नर : उद्‌भव, अतीत और वर्तमान	डॉ0 दिलीप कुमार अवस्थी	194–196
59.	हिंदी उपन्यास : सामाजिक सरोकार और किन्नर विमर्श	डॉ. पंडित बन्ने	197–198
60.	सम्मानों का चन्दन दे दो (किन्नरों की जुबानी)	डॉ. दीप्ति गौड़ 'दीप'	199–199
61.	'हम' और 'वो' (किन्नर और राजनीति)	अनुराग वर्मा	200–202
62.	Anjum the Unconsoled : Life of a Transgender	Prof. Gopal Sharma	203 - 205
63.	The Role of Third Gender In History	Dr. Sandeep Prajapat	206 - 207
64.	Transgender Psychology	Thadeu Gnana Garrison	208 - 210
65.	ऐतिहासिक परिपेक्ष्य और किन्नरा (महाभारत में किन्नरा)	डॉ. एन. जयश्री	211–213
66.	किन्नर : सामाजिक अवधारणा या समाज शास्त्रीय अध्ययन	डॉ. मनोज कुमार पाटीदार	214–215
67.	21वीं सदी में किन्नरों के पहचान के प्रश्न (भारत के संदर्भ में)	अनीश कुमार	216–219
68.	किन्नर समाज की त्रासदी	शेलकेप्रकाश चंदर	220–221
69.	समलैंगिकता/उभय लैंगिकता और प्रवासी हिन्दी कहानी	डॉ. मधु संधु	222–225
70.	किन्नर होने का अभिशाप : पोस्ट बॉक्स नं. 203 – नाला सोपारा	श्रीलेखा के.एन	226–228
71.	अगर मैं होती पूरी नारी, जिन्दगी	माई मनीषा महंत	229–230

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115 साहित्य, समाज और किन्नर Page No. :
Impact Factor : 3.478 विशेषांक, मई 2019 74-76
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

अस्तित्व के लिए जूझता किन्नर समाज

सृष्टि–निर्माण से संपूर्ण मानव व्यवस्था स्त्री–पुरूष पर टिकी है। समाज में इन दोनों लिंग के अतिरिक्त किसी तीसरे का कोई स्थान नहीं है। देखने में यह तीसरा लिंग भी मनुष्य की भांति ही है। अंतर मात्र इतना है कि यह न तो पूर्णता स्त्री होते हैं और न ही पुरूष। अर्थात् यह स्त्री–पुरूष का वह मिश्रित रूप है जिन्हें समाज किन्नर, हिजड़ा, थर्ड जेंडर या नपुंसक से कहता है।

प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी इनका उल्लेख मिलता है। किंतु इनके संबंध में कोई ठोस औपचारिक व्यवस्था नहीं है। जैसी कि स्त्री–पुरूष के संबंध में उल्लेखित है कि इन दोनों के सहयोग से संपूर्ण सृष्टि का सृजन और पोषण होगा। ये दोनों एक–दूसरे के पूरक बनकर, सृष्टि निर्माण, संस्कार और परंपराओं को पोषित कर बह्मा की सृष्टि सृजन के सहयात्री होंगे। इसके विपरीत किन्नरों के विषय में मात्र इतना ही उल्लेखित है कि यह गंधवों और यक्षों की भांति नृत्य, गायन और संस्कार कला में निपुण होते हैं। किन्नरों की उत्पत्ति संबंधी अनेक मिथक प्रचलित हैं। जिनमें दो प्रवाद प्रमुख हैं–

यह बह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं।

यह अरिष्टा और कश्यप के वंशज है। वह इनके आदिजनक थे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यह कैलाश पर्वत पर रहकर भगवान शिव की सेवा करते थे। यह विष्णु भक्त थे। जिन्होंने धर्म और नीति के ज्ञान प्राप्ति के लिए सप्तऋषियों से भी वाद–विवाद–संवाद किया।

बौद्ध साहित्य में किन्नर की कल्पना मानवमुखी पक्षी के रूप में की गई है। मानसार में किन्नर के गरुड़मुखी, मानवशरीरी और पशुपक्षी रूप की चर्चा है।

इस प्रकार प्राचीन सभ्यता में किन्नरों की विशिष्ट स्थिति होने का प्रमाण मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इन पर हाथ उठाना महापाप है। जिसकी चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी की है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि हिजड़ों पर हाथ उठाना न्याय के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य की नाट्य विधा में भी किन्नरों के महत्त्व को स्वीकारा गया है।

किन्नर सदैव से अपनी प्रतिभा और इंसानियत के चरमोत्कर्ष को पाते रहे। मुगल दरबार में हरम की विकसित व्यवस्था थी। वहाँ पर भी रानियों की देखभाल एवं सेवा में इन्हीं को रखा जाता था। यह सौंदर्य एवं यौवन से परिपूर्ण रांगियों के बीच रहकर भी उनके साथ किसी प्रकार का बलात्कार, सेक्स या यौनिक प्यास को बुझाने का कार्य नहीं करते थे। यह इनकी कमजोरी नहीं, अपितु प्रखर मनुष्यता और सम–सम्मान का प्रतीक था। क्रूरता से परिपूर्ण इस समाज ने इन्हें जिस इंसानियत के तकाजे पर मनुष्यता के सामाजिक पैमाने बाहर कर दिया। दरअसल, वह मनुष्यता सही अर्थों में इन्हीं के भीतर दिखाई देती है। तभी तो यह घर–परिवार और समाज से उपेक्षित गर्भवती महिला के शिशु को पालते, बेवश बलात्कार का शिकार होती महिला की रक्षा का खतरा उठाने से भी पीछे नहीं हटते। यह जानते हुए कि यह समाज उनका कट्टर बैरी है। इसी क्रूरता के कारण आज वह अपने परिवार से दूर अपमानित जीवन जी रहे हैं।

किन्नर समाज का बच्चा जन्म से ही भेदभाव और अपमान की आग में हर पल जलता है। जिसके कई उदाहरण

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115 साहित्य, समाज और किन्नर Page No. :
Impact Factor : 3.478 विशेषांक, मई 2019 216-219
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

21वीं सदी में किन्नरों के पहचान के प्रश्न (भारत के संदर्भ में)

अप्रैल, 2014 में भारत गणराज्य की शीर्ष न्यायिक संस्था–सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में पहचान दी थी। नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (एन.ए.एल.एस.ए.) की याचिका पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। इस फैसले की ही बदौलत, हर किन्नर को जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में तीसरे लिंग के तौर पर पहचान हासिल करने का अधिकार मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें एक–दूसरे से शादी करने और तलाक लेने–देने का अधिकार भी मिल गया। वे बच्चों को गोद ले सकते हैं और उन्हें उत्तराधिकार कानून के तहत वारिस होने एवं अन्य अधिकार भी मिल गए, जिसकी उन्हें सदियों से दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये लोग डर, शर्म, डिप्रेशन और सोसायटी का प्रेशर झेल रहे हैं, इसे खत्म किया जाना जरूरी है। राइट टु लाइफ, प्राइवेसी, शोषण के खिलाफ अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार सबको मिले हुए हैं। संविधान ये अधिकार सभी को देता है, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं।'

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक़ उच्चतम अदालत ने केंद्र सरकार को हुक्म जारी किया है कि वो किन्नरों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाए। अदालत का कहना था कि वो सामाजिक रूप से एक पिछड़ा समुदाय है। कोर्ट ने कहा है कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, काम पाने और सामाजिक बराबरी हासिल करने का पूरा हक़ है। अदालत ने कहा कि वो किन्नरों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर चिंतित है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब किन्नरों के अधिकारों के लिए देश में कोई विधि अर्थात विधायन नहीं है और इसके कारण टीजी समुदाय को अनेक विभेदकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तब यह न्यायालय उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा पर मूकदर्शक नहीं बना रहेगा और अपने संविधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने निर्देशों /आदेशों के माध्यम से उसे प्रवर्तनीय बनाएगा। फिलहाल संसद चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 51/253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कंवेंशनों के अनुरूप कानून बना सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1) (क) और 21 के अंतर्गत देश के व्यक्तियों/नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकारों को किन्नरों के भी पक्ष में विस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है–

1. विधि के समक्ष समता का अधिकार (अनुच्छेद 14) ।
2. किन्नरों के साथ लिंग–विभेद (अनुच्छेद 15 एवं 16) ।
3. किन्नरों की स्व–पहचानीकृत लिंग एवं आत्म– अभिव्यक्ति (अनुच्छेद 19(1)क) ।
4. लिंगीय पहचान और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21) ।
5. 'तृतीय लिंग' की संविधानिक अवधारणा और कानूनी मान्यता ।
6. लिंग परिवर्तन करने वाले के संवैधानिक अधिकार ।

भारत में किन्नरों को सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। उन्हें मुख्य धारा के समाज से अलगदृथलग कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें न तो पुरुषों में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं में, जो लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है। यह भी उनके सामाजिक बहिष्कार और उनके साथ होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण है। इसका नतीजा यह है कि वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। जिसके कारण वे बेरोजगार ही रहते हैं। भीख मांगने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते। इन सभी समस्याओं से संघर्ष करते हुए वे गलत रास्ते पर

चलने को मजबूर होते हैं। जिसके चलते वे आपराधिक प्रवित्ति के कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 जुलाई 2016 को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2016 को मंजूरी दे दी। भारत सरकार की कोशिश इस बिल के जरिए एक व्यवस्था लागू करने की है, जिससे किन्नरों को भी सामाजिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आजादी से जीने के अधिकार मिल सके। केंद्र सरकार के इस पहल के बाद राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी व पुनर्वास संबंधी योजनाओं को लागू करने को आगे आ रहीं हैं। इस दिशा में केरल, देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश सरकार किन्नरों को समाज में सम्मानजनक पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि जिस प्रकार हिन्दी में पुरुषों, स्त्रियों और लडकियों के लिए 'श्रीमान', 'श्रीमती' और 'सुश्री' का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से किन्नरों को हिन्दी में 'कि' अर्थात किन्नर तथा अंग्रेजी में 'टीजीआर' अर्थात ट्रांसजेन्डर से संबोधित किया जाए। किन्नरों के पहचान के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है।

इनके पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने के बावजूद उनके दैनिक जीवन में विशेष बदलाव नहीं आ रहा है। "पायल फांउडेशन की अध्यक्ष पायल सिंह बताती हैं, सरकार ने रहने को घर देने को वादा किया, लेकिन पहचान नहीं तो घर भी नहीं मिला। इंदिरा गाँधी के समय किन्नरों को 200 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार में सभी के लिए पेंशन योजना और हम लोगों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं। आधे से ज्यादा किन्नरों को प्रमाण–पत्र और कोई पहचान–पत्र नहीं।"[1] कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाये तो देश में अभी भी किन्नरों के पास किसी प्रकार का कोई पहचान प्रमाण पत्र नहीं है। इसका मुख्य कारण समाज व सरकार की उदासीनता है। इसे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि अभी भारत सरकार के पास किन्नरों के संख्या की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं उपलब्ध है।

प्राकृतिक रूप से मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद किन्नर एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। किन्नरों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव से उनका मनोबल टूटता है। उनके लिए न रोजगार की व्यवस्था है और न ही उनकी खुद की कोई परिवार जैसी इकाई है। समय–समय पर दुनियाभर में विभिन्न मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन और मानवाधिकारों की बदतर स्थिति की चर्चा की जाती है, लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित और समाज की प्रताड़ना के शिकार किन्नरों की स्थिति पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है।

भारतीय समाज में आज भी समाज में दो ही लिंग (स्त्री और पुरुष) की महत्ता और उपादेयता मानी जाती है किसी तीसरे की नहीं। भारत में इस वर्ग को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। भिन्न–भिन्न भाषाओं के तर्ज पर भिन्न–भिन्न नाम भी किन्नरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। "इस समुदाय को उर्दू में 'खोजवाँ अथवा हिजड़', हिन्दी और बंगाली में 'हिजड़ा', कन्नड में 'माद्दा', तमिल में 'नंगाई/अरुवन्नी', पंजाब–पाकिस्तान में 'खुसरा' तथा में 'पवैया' कहा जाता है पर ध्यातव्य है कि किसी भी देश–भाषा में 'किन्नर' नहीं कहा जाता है।"[2] सभ्य कहे जाने वाली समाज के लोग उन्हें गली की गाली हिजड़ा, 'गे', 'लेस्बियन्स' आदि कई नामों से भी संबोधित करते हैं। किन्नरों की ओर समाज का ध्यान एक ही समय जाता है, जब कहीं यह लोग नांचते–गाते दिखते हैं। लोगों का ध्यान आकस्मिक इनकी ओर आकर्षित हो जाता है लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता की यह लोग कौन हैं। किस कारण नांचते–गाते पैसे माँगते फिरते हैं।

21वीं सदी में किन्नरों की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में मुख्यधारा के समाज की तरह उपस्थिति देखने को मिल रही है, जो उनके सदियों के संघर्षों का परिणाम है। राजनैतिक क्षेत्र में सफलता पाने वाली पहली किन्नर हिसार, हरियाणा की 'शोभा नेहरू' हैं जो 1995 में हुए नगर निगम के चुनाव में पार्षद चुनी गई थी। श्रीगंगानगर, राजस्थान में भी 'बसंती' पार्षद बनी। मध्य प्रदेश में सन् 2002 में किन्नर विधायक, पार्षद व महापौर थे। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी, शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा सीट से चुनी गई थी। प्रदेश में सन् 2002 में स्थानीय निकाय चुनाव में चार किन्नर चुने गए थे। राजनीति में अपनी जगह बनाने के बाद इन्हें समाज और मीडिया ने अधिकतर किन्नर शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। किन्नरों के अधिकारों के लिए भारतीय सामाजिक संस्थाओ ने मिलजुल कर काम किया। भारत की तुलना में अन्य देशों में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने अधिकार

बहुत पहले प्राप्त हो चुके हैं।

हजारों वर्षों से पिछड़ा हुआ यह समुदाय आज अपने मूलभूत अधिकारों की माँग कर रहा है, जो उन्हें संविधान प्रदत्त हैं। मुख्यधारा के समाज से कह रहा है कि हम भी इंसान हैं। आखिर अन्य बच्चों की तरह हम भी माँ की कोख में नौ महीने रहे होंगे। अंधे, लंगड़े, मनोरोगी को तो यह समाज स्वीकृति दे देता है फिर हमें क्यों नहीं। लिंग दोष के रूप में पैदा हुए इसमें हमारा क्या दोष है। यह तो प्रकृति का दोष है, जिसे अभिशाप की तरह झेलना पड़ रहा है। उपभोक्तावादी पुरुष प्रधानता वाले समाज के सामने खड़ा हुआ यह समाज अपने मानवीय अधिकारों की माँग कर रहा है। समाज में समानता के साथ रहना है, यही इनकी इच्छा है। "किन्नर समुदाय को देश में 'तृतीय लिंग' के रूप में संवैधानिक मान्यता मिले हुए भले ही एक वर्ष बीत गया हो, लेकिन अभी भी समाज में किन्नरों की दशा में कोई खास सुधार नहीं आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किन्नर समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। इन्हें अभी भी हीन और तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है। किन्नरों के प्रति समाज की इसी सोच को बताते हुए पश्चिम बंगाल में किन्नरों के हित में सक्रिय 'एसोसिएसन ऑफ ट्रांसजेंडर' की कार्यकर्ता रंजीता सिन्हा कहती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले से समाज में हमारी दशा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनका हमारे साथ व्यवहार नहीं बदला है, क्योंकि सोच एक दिन या एक साल में नहीं बदलती। जरूरत है लोगों के नजरिए को बदलने की।"[3]

21वीं सदी कहते ही हमारे सामने एक ऐसे समय की छवि दिखाई देती है जहां माना जा सकता है कि व्यक्ति को वह सभी अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हैं जो उन्हें मिलने चाहिए और जो संविधान प्रदत्त हैं। ये अधिकार व पहचान विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित किए गए हैं। लेकिन किन्नर समुदाय का नाम आते ही ये अधिकार, पहचान अलग–थलग पड़ जाते हैं। विश्व के ऐसे बहुत कम देश हैं जहां किन्नरों को स्त्री और पुरुष के बराबर का दर्जा दिया गया हो। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? वैश्वीकरण के आगमन से जहां पूरी दुनियाँ एक परिवार की तरह कार्य कर रही है। पूरा विश्व आदमी की मुट्ठी में कैद होकर रह गया है। वहीं किन्नर समुदाय को उसी वैश्विक परिवार से अपने अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

किन्नर और समुदाय से जुड़ी कार्यकर्ता 'दुलारी' कहती हैं कि हमारा समुदाय शताब्दियों से निवास करता आया है। धर्म में हमें स्वीकार किया गया है, संस्कृति में हम स्वीकार्य हैं लेकिन फिर भी हमें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी बातों को छोड़ भी दें तब भी हम सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया, 'क्यों नौकरियां केवल पुरूषों और महिलाओं के लिए हैं । देश के किसी भी नागरिक को नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए। (कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अभी भी नौकरियों में किन्नरों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं है) शैक्षणिक संस्थाओं में ट्रांसजेंडरों को क्यों छोड़ दिया गया ?' शिक्षा के अधिकार कानून में हालांकि सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार अधिकार है।

विकास के लाख दावों के बावजूद भारतीय समाज आज भी स्त्री और पुरूष के परंपरागत दायरे में इस कदर बंधा हुआ है कि ट्रांसजेंडर अथवा किन्नर को स्वीकार नहीं कर पाया है और सरकार के पास इनकी सही संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आरटीआई के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'मंत्रालय के पास यह सूचना (जनसंख्या के बारे में) उपलब्ध नहीं है।

लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जो कि किन्नर वर्ग से ही हैं उन्होंने कहा है कि– अगर इस वर्ग के लोगों को पर्याप्त अवसर दिए जाए तो यह पिछड़ा हुआ समुदाय भी मुख्यधारा के समाज के साथ कदम से कदम मिलकर चल सकता है। लेकिन इसके लिए संघर्ष और समाज की अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरुरत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए चाहे सामजिक हो या राजनैतिक चाहे वह प्राकृतिक ही क्यों न हो समय अनुसार परिवर्तन होगा।

भारत में "राजनीतिक दृष्टि से किन्नर समुदाय में सशक्तिकरण का तंत्र विकसित करने की अनिवार्यता है। समाज की दृष्टि से सामाजिकों को जिम्मेदारी के प्रति सचेत किया जा रहा है ताकि वे अपने दायरे से बाहर निकल कर किन्नर समाज के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास करें–

1. पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, क्रैडिट कार्ड, विल लिखने का अधिकार।

2. कानूनी तौर पर स्त्री–प्रभाग में यात्रा करने का अधिकार।
3. विवाह का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार।
4. तलाक लेने का अधिकार।
5. 60 वर्ष से उपर हिजड़ों के लिए पेंशन की सुविधा।
6. घर बनाने की सुविधा।
7. व्यापार करने हेतु बैंक लोन की सुविधा।
8. स्कूल में भर्ती अपितु फीस में कटौती तथा छात्रवृत्ति की सुविधा।
9. न्यायिक सुविधा में अनुदान।
10. अपना लिंग बदलवाने सम्बन्धी चिकित्सीय सुविधा मुफ्त।"[4]

आधुनिक भारतीय समाज ने अनेक पुरातन रूढ़ियों जैसे– सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा–विवाह आदि को तोड़ा और समाज के वंचित वर्गों में दलित, स्त्री और आदिवासियों के प्रति भी समाज का रवैया थोडा–बहुत परिवर्तित हुआ भी लेकिन किन्नर समुदाय समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी बहिष्कार एवं तिरस्कार की पीढ़ा भोग रहा है। 21वीं सदी में सामाजिक समानता और एकता को ध्यान में रखते हुए मुख्य धारा के समाज को मानसिक दुराग्रहों को छोडकर किन्नरों को अपनाना होगा जिसके आधार पर एक समतामूलक समाज और एक आदर्शवादी व कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

संदर्भ सूची :

1. https%@@www-gaonconnection-com@stories@trans&identity&astray
2. सिंह, प्रताप विजेंद्र, रवि कुमार गौड़. विमर्श का तीसरा पक्ष. दिल्ली : अनग प्रकाशन, 2016, पृष्ठ 7
3. https%@@hindi-indiatvnews-com@india@national&eunuch&community&still &facing &india&303-html
4. A- Chettiar, ÞThe status of hijras in civil society% a study of the hijrasingreater Mumbai,ß Ph.D. Dissertation, College of Social Work NirmalaNiketan, Mumbai, 2009.

–अनीश कुमार, पी.एच.डी. शोध छात्र, हिन्दी विभाग
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
बारला, रायसेन, मध्य प्रदेश